संख्या 11011/10/2014—एन.ई—III
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक जुलाई, 2014

सेवा में,

डॉ. नूतन ठाकुर,
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर,
लखनउ, उत्तर प्रदेश

विषय— सूचना का अधिकार कानून, 2005

संदर्भ— पत्र संख्या—**NT/Comm/GOI/02** दिनांक 15.5.2014 के अंतर्गत कमीशन ऑफ इन्क्वारी के संबंध में मांगी गई सूचना बाबत्।

महोदय,

मुझे आर.टी.आई. सैल के कार्यालय ज्ञापन संख्या— ए—43020/01/2014 आर.टी. आई दिनांक 2 जुलाई, 2014 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जहॉ तक पूर्वोत्तर प्रभाग, गृह मंत्रालय का संबंध है, बिन्दुवार वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

(1 व 2) भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31.08.1985 के तहत असम—नागालैंड सीमा विवाद पर श्री आर.के.शास्त्री की अध्यक्षता में कमीशन आफ इंक्वारी कानून, 1952 के तहत एक आयोग का गठन किया गया। इस कमीशन में श्री बी.सी.माथुर एवं श्री एस.एल. चौपडा, को कमशः सदस्य एवं सचिव नियुक्त किया गया।

(3 व 4) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, उपरोक्त शास्त्री आयोग द्वारा सन् 1987 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और आयोग की सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्वित व लागू करने के लिए अग्रेषित कर दी गई थी।

(5) 467 पृष्ठों की उक्त आयोग की रिपोर्ट की प्रति के लिए आपसे अनुरोध है कि निर्धारित शुल्क 2/— रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल राशि रूपये 934/— मात्र इस मंत्रालय की आर.टी.आई. सैल ... जमा कराने का कष्ट करें और जमा की गई राशि की एक प्रतिलिपि इस प्रभाग को भेजें ताकि उक्त आयोग की रिपोर्ट की प्रति आपको भेजी जा सके।

(6) उपरोक्त के मध्यनजर प्रश्न नहीं उठता।

(7) इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित दिनांक 15.05.2014 तक कोई भी जांच आयोग कार्यरत नहीं है।

2. इस संबंध में, श्री शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव(पूर्वोत्तर प्रभाग) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली अपीलीय प्राधिकारी हैं।

ISSUED
MHA (NE)
हस्ताक्षर/Sign.........
प्रा. तथा प्रे./R&I

भवदीय,

(अजय कनौजिया)
निदेशक एवं के0लो0सू0अधि0

O/C

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 27th June, 2014.

07 JUL 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application filed by Dr. Nutan Thakur under the Right to Information Act, 2005.

****

The undersigned is directed to refer to the application dated 15/05/2014 under the RTI Act, 2005 filed by Dr. Nutan Thakur which was received in this Ministry on 19/05/2014. Therein the applicant had sought information about "All Commissions formed by the Government of India under the Commission of Inquiry Act, 1952 since 15/08/1947 and related aspects."

2. The information requested by Shri Thakur was presumed to be available with the Judicial Division and the application was accordingly forwarded to that Division. However, the Judicial Division has returned the application to the Nodal RTI Section with the remarks that the information sought was not related to their Division.

3. Since the information about "Commissions formed by the Ministry of Home Affairs under the Commission of Inquiry Act, 1952" is not available with any particular Department/Division of this Ministry, the application is being forwarded to all designated CPIOs of this Ministry for furnishing available information directly to the applicant.

Encl: As above

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs (P) as per list attached.

Copy for information to:

Dr. Nutan Thakur,
5/426, Viram Khand
Gomti Nagar
Lucknow
UTTAR PRADESH.

(14)

23/7/14

फा0सं0 16/3/2014-न्यायिक एकक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(न्यायिक एकक)

****

'सी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड

नई दिल्ली- 110 001

जून 17, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

मैं, आर टी आई अनुभाग के का०ज्ञा० सं० ए-43020/01/2014- आरटीआई दिनांक 09.06.2014 जिसके द्वारा डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2014 की दो प्रतियाँ जो कि इस मंत्रालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय को संबोधित हैं, का संदर्भ ग्रहण करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के अंतर्गत 15.08.1947 से 15.05.2014 तक गठित समस्त आयोगों के संबंध में जानकारी मांगी है। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है। इस प्रभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रभाग द्वारा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है।

2. यह सूचना इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से संबंधित प्रतीत होती है। यह प्रभाग संबंधित प्रभागों से अवगत नहीं है, चूँकी आरटीआई अनुभाग इस मंत्रालय को नोडल अनुभाग है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समन्वय करता है। यह आवेदन पत्र उस अनुभाग को इस अनुरोध के साथ स्थानांतरित कियां जा रहा है कि आवेदन पत्र संबंधित प्रभागों को स्थानांतरित कर दिया।

(signature) 16/6/14

(जय प्रकाश अग्रवाल)

सं० स० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

☏2343 8113

सेवा में, गृह मंत्रालय
अवर सचिव (आर०टी०आई०)
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

संलग्नक – यथोपरि

प्रति सूचनार्थ प्रेषित-

(१) डॉ नूतन ठाकुर, 5/426, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उतर प्रदेश)

(signature) 16/6/14

जय प्रकाश अग्रवाल)

सं० स० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

SO(RTI)

All CPIO

12/6

43421/RTI/MHA/R-14

PLEASE ISSUE
RTI SECTION

16/6/14

(13)

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/06/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. नूतन ठाकुर का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. नूतन ठाकुर के दिनांक: 15/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ——— ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक: 19/05/2014 को प्राप्त) को न्यायिक प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 20/05/2014 की रसीद सं. 297719 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी.पी. एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

O/C

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

संयुक्त सचिव (न्यायिक)
गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली

(02)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ० नूतन ठाकुर
5/426, विरामखंड
गोमतीनगर, लखनऊ (उ०प्र०)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

गृह मंत्रालय,

भारत सरकार,

नयी दिल्ली

विषय- जनसूचना अधिकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/08/1947 से अब तक कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 में गठित आयोगों के सम्बन्ध में सूचना

महोदय,

कृपया निवेदन है कि दिनांक 15/08/1947 से अब तक भारत सरकार द्वारा कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 की धारा तीन अथवा अन्य प्रावधानों में गठित समस्त आयोगों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न सूचना प्रदान करने की कृपा करें-

1. उपरोक्त अवधि (दिनांक 15/08/1947 से अब तक) में धारा तीन में अलग-अलग कौन-कौन से आयोग गठित किये गए? इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सूची भी प्रदान करने की कृपा करें
2. इनमे से सभी आयोग कब-कब (अर्थात किस तिथि) को गठित किये गए?
3. इनमे से किस-किस जांच आयोग का कार्यकाल कब-कब और कितनी बार कितनी-कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया?
4. इनमे से किस-किस जांच आयोग ने आज दिनांक 15/05/2014 तक अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है?
5. जिन-जिन जांच आयोग ने अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, उस जांच रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें
6. अभी तक किस-किस जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं सौंपी है?
7. आज दिनांक 15/05/2014 को इनमे से कितने जांच आयोग अभी भी कार्यरत हैं?

इस सम्बन्ध में दस रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 27F 904907 प्रेषित कर रही हूँ. अतः अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना तत्काल प्रेषित करने की कृपा करें.

पत्र संख्या- NT/Comm/GOI/02

दिनांक-15/05/2014

भवदीय,

(डॉ नूतन ठाकुर)
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर, लखनऊ
94155-34525